न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के.जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 80/2018 आरसीएमएस नम्बर 2018/00136

उनवानी प्रकरण :–

1. हेमन्त जैन पुत्र अभय कुमार जैन जाति जैन वैश्य निवासी वार्ड नम्बर 18 कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर ।
2. मुकुल जैन पुत्र अभय कुमार जैन जाति जैन वैश्य निवासी वार्ड नम्बर 18 कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर
3. संकित जैन पुत्र अभय कुमार जैन जाति जैन वैश्य निवासी वार्ड नम्बर 18 कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर ——————————————————प्रार्थीगण।

बनाम्

1. अभय कुमार जैन पुत्र श्री बंगाली प्रसाद जैन निवासी वार्ड नम्बर 18 कस्बा राजाखेड़ा जिला धौलपुरं
2. राजा बाबू जैन पुत्र श्री बंगालीप्रसाद जाति जैन वैश्य निवासी वार्ड नम्बर 18 कस्बा राजाखेड़ा जिला धौलपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, राजाखेड़ा धौलपुर—— अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 जाप्ता दीवानी व सिलसिले अन्तरित करने प्रकरण हेमन्त जैन बनाम अभय कुमार जैन मुकदमा नम्बर 16/18 न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से :– श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से :– श्री विनोद भार्गव एडवोकेट।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक 09.10.2019

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने एक दावा वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निशेधाज्ञा एवं बंटवारा व उनवानी हेमन्त बनाम अभय कुमार जैन न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा में प्रस्तुत किया हुआ है। साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है कि वे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 4744, 4745, एवं 4747 बाके ग्राम जरिहा नम्बर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

2 में सरसों की फसल बो रखी थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 राजा बाबू ने दिनांक 28.09.2018 को विवादित आराजी पर स्थगन आदेश के बाबजूद दखलंदाजी की तथा दिनांक 09.10.2018 को प्रार्थीगण की सरसों की फसल नष्ट करते हुए पुनः अपनी ओर से सरसों की फसल बो दी। प्रार्थी संख्या 1 उक्त घटना की शिकायत करने दिनांक 10.10.2018 को अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष आवेदन लेकर गया तब अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी संख्या 1 को यह कहा कि अप्रार्थी संख्या 2 राजाबाबू हमारा गिरदावर है तथा अप्रार्थी संख्या 2 राजाबाबू का पुत्र भी पटवारी है जो चुनाव कार्यालय में हमने लगा रखा है दोनो पिता एवं पुत्र बहुत ही नेक दिल लोग हैं इनके विरुद्ध प्रार्थीगण ने गलत स्टे ले रखा है। इसलिए दिनांक 11.10.2018 को अपने वकील को बुला लेना उनकी बहस सुनकर कोर्ट में डेस्क पर ही तुम्हारा स्टे खारिज कर देंगे। दिनांक 10.10.2018 को प्रार्थी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि उन्होंने अप्रार्थी संख्या 2 राजाबाबू के वकील को यह सूचित कर दिया है कि वे आवश्यक रूप से लिखित बहस पेश कर दें प्रार्थीगण यदि लिखित बहस या मौखिक बहस नहीं करेगें तब भी आदेश आवश्यक रूप से करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के उपरोक्त इजहार से प्रार्थीगण को यह पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्राथी संख्या 2 के पक्ष में निश्चित तौर से आदेश करेंगे। जबकि तारीख पेशी 11.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी के लिए पत्रावली नियत थी अप्रार्थी संख्या 1 को जबाब का मौका देना था। दिनांक 11.10.2018 को प्रकरण में तारीख पेशी नियत थी उक्त दिवस पीठासीन अधिकारी के इजहार दिनांक 10.10.2018 पर न्याय की उम्मीद नहीं रहने के कारण प्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी प्रकरण को स्थानान्तरित कराना चाहता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रार्थीगण पर आग बबूला हो गये तथा यह इजहार किया कि इस आवेदन के बावजूद भी मैं स्थगन आदेश पर आदेश करूंगा अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीगण नाजायज परेशान कर रहे हैं अप्रार्थी संख्या 2 मेरा सीधा साधा कर्मचारी है और उसका पुत्र मेरे यहाँ चुनावी शाखा में कार्यरत है जिन्हें प्रार्थीगण ने बेवजह परेशान कर रखा है। दिनांक 11.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय में उपस्थित अन्य अधिवक्तागण तथा अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता विमल शर्मा द्वारा भी यह कहने पर कि न्यायालय पर न्याय नहीं मिलने का आरोप आ गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को इस [illegible] से कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता से पूर्व नियोजित लिखित बहस तैयार कराकर [illegible] प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश करने तथा आगामी तारीख पेशी 25/10/2018 आदेश के लिए नियत कर दी गई। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थीगण को न्याय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रही है। इसलिए प्रार्थीगण अपने प्रकरण को अन्यत्र समकक्ष न्यायय में स्थानान्तरण कराना चाहते है। अतः प्रकरण संख्या 16/18 उनवानी हेमन्त जैन बनाम अभयकुमार जैन को अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिये जावे ।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी प्रस्तुत करें । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को भेजकर बिन्दुबार टिप्पणी चाही गई।

दिनांक 25.3.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वंय उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 25.3.2019 के पश्चात् न तो स्वंय उपस्थित हुए ना ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुऐ अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री बल्देवराम भोजक के विरूद्ध पेश किया है उनका स्थानान्तरण हो चुका है जिस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा ने अपनी टिप्पणी भिजवाते हुए कथन किया कि तथ्य मनगढंत है। राजाबाबू का गिरदावर होना स्वीकार है। मुकदमा स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश करना स्वीकार है। शेष कथन स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र किसी दुराग्रह से ग्रसित होकर अथवा किसी भ्रमवश पेश किया है। क्योकि अप्रार्थी तहसील राजाखेड़ा में गिरदावर है। न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने में कोई व्यक्तिगत रूचि नहीं है। अन्य प्रकरणों के समान ही यह प्रकरण है। यदि इस प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवान से एक दावा न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा में लम्बित हैं जिसमें विवादित आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया हुआ है। उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना की गई जिसकी शिकायत अधीनस्थ न्यायालय को की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सन्तोषनजक कार्यवाही नहीं की । अप्रार्थी संख्या 2 तहसील कार्यालय में गिरदावर के पद पर पदस्थापित है तथा उसका पुत्र पटवारी के पद पर स्थापित है । दोनों ही पिता पुत्र अधीनस्थ न्यायालय के मातहत कर्मचारी हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्णय पारित कर सकता है। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अन्यत्र उपखण्डाधिकारी न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जावे । इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने आर. आर. टी. 2006–07 पेज संख्या 570 की नजीर पेश की ।

(आर0 के0 जोयसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री बल्देवराम भोजक के विरूद्ध पेश किया है उनका स्थानान्तरण हो चुका है उसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी के पद पर श्री मुकेश मीणा आर. ए. एस. पदस्थापित हुए जिनका भी स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्य मनगढंत है। प्रार्थीगण द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र किसी दुराग्रह से ग्रसित होकर अथवा किसी भ्रमवश पेश किया है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 2 तहसील राजाखेड़ा में गिरदावर है। न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने में कोई व्यक्तिगत रूचि नहीं है। अन्य प्रकरणों के समान ही यह प्रकरण है। यदि इस प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने एवं प्रस्तुत नजीरों का गहनता पूर्वक अध्ययन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जिस न्यायालय के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा जिस अधिकारी के विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र लाया गया है उसका स्थानान्तरण हो चुका है। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण काबिल खारिजी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर् हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर